# प्रेस विज्ञप्ति

## 15.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो आरोपी व्यक्तियों नामतः हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी (मैसर्स रेड रोज पीएल, मुंबई के मालिक और प्रमोटर) और मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स, पटना के सौरव कुमार के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। । माननीय न्यायालय ने 09.02.2024 को पूरक पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1960 की विभिन्न धाराओं के तहत गांधी मैदान पुलिस स्टेशन, पटना, बिहार द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खाते से कुल 31.93 करोड़ रुपए (लगभग) के धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया गया और विभिन्न शैल/डमी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके धन की हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

जांच के दौरान, CALA सह DLAO के खाते से निष्पादित धोखाधड़ी लेनदेन में तीन व्यक्तियों सुमित कुमार (कोटक महिंद्रा बैंक, पटना के तत्कालीन शाखा प्रबंधक), शशिकांत कुमार और मन्नू सिंह की भूमिका की पहचान की गई और उन्हें इस ईडी द्वारा क्रमशः 10/07/2023, 02/08/2023 और 18/08/2023 को गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात् उनके विरुद्ध 05/09/2023 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई थी। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि कुल 31.93 करोड़ रुपए (लगभग) में से 8.77 करोड़ रुपए की धनराशि की हेराफेरी एनकेजी सहकारी बैंक, मुंबई द्वारा संचालित हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी के बैंक खाते के माध्यम से की गई थी और उन्हें 13/12/2023 को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि 31.93 करोड़ रुपए (लगभग) के कुल फर्जी लेनदेन में से 5.34 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि उपरोक्त सरकारी खाते से कोटक महिंद्रा बैंक, पटना द्वारा संचालित मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। जांच से पता चला कि मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी के सौरव कुमार ने आरोपियों के साथ साजिश रची और सरकारी धन की हेराफेरी में उनकी सहायता की। मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी से संबंधित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक विवरण/दस्तावेज इकट्ठा हुए और लगभग 1.38 करोड़ रुपए (11,51,000/- रुपये नकद और लगभग 1.26 करोड़ रुपए के आभूषण) की अपराध की आय की बरमदगी और दिनांक 02/01/2024 को सौरव कुमार की गिरफ्तारी हुई, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।